प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

रिपार्ट पटवारी ~~तेजाखेड़ी~~ नारायण खेड़ा व भू.अ. निरिक्षक नाथडियाड़ा तहसील रायपुर

महोदय जी
निवेदन है कि तेजाखेड़ी के ख.नं. 46,47,48 मे खातेदार शंकर पुत्र प्रताप भील सा. नारायण खेड़ा के बजाय शंकर पुत्र प्रताप भील सा. 36 दर्ज ~~करने~~ किया जाना उचित है अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा मे पेश है)

प. नारायणखेड़ा

14/10/21

प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021

गाँवो के संग अभियान 2021

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार रायपुर

रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू.अ.निरीक्षक के अनुसार ग्राम तेजाखेड़ी के शंकर पुत्र प्रताप भील के खाता नं. 46,47,48 मे साकिन नारायण खेड़ा के बजाय ... दर्ज किया जाना उचित होगा

आदेश

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
दि. 14.10.2021

क्रमांक (प्र०गा०सं०/2021)

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का, भूअभिलेख निरीक्षक व जांच तहसीलदार रायपुर व सलग्न दस्तावेज के अनुसार ग्राम तेजाखेड़ी के ख.न. 46,47,48 मे खातेदार शंकर पुत्र प्रताप भील सा. नारायणखेड़ा के बजाय शंकर पुत्र प्रताप भील सा. ... दर्ज किया जावे तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज किया जावे।

14.10.2021

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर(भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.18 16:13:55 IST
Reason: SelfAttested

FORM NO.03
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

अनवान

शंकर पिता प्रताप भील निवासी तेज्याखेड़ी तहसील रायपुर — प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा — विपक्षी

मु0नं0 25 सन् 2021

किस्म मुकदमा धारा 136 रा.भू.राज.अधि. 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज	
दिनांक– 14-10-2021	प्रार्थी शंकर पिता प्रताप भील निवासी तेज्याखेड़ी तहसील रायपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम तेज्याखेड़ी के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत 2073–2076 में शामलाती खाता संख्या 46, 47, 48 में क्रमशः किता 10 रकबा 1.75 है0, किता 8 रकबा 2.16 है0, किता 2 रकबा 0.32 है0 भूमि सहखातेदारी से प्रार्थी शंकर पिता प्रताप भील सा. नारायणखेड़ा के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी शंकर पिता प्रताप भील सा. देह के बजाय शंकर पिता प्रताप भील सा. नारायणखेड़ा अंकन हो रहा है जबकि वास्तविक ग्राम का नाम शंकर पिता प्रताप भील सा. तेज्याखेड़ी है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज साथ संलग्न है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर से जांच रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार रायपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम तेज्याखेड़ी के खाता संख्या 46, 47, 48 में खातेदार शंकर पिता प्रताप भील सा. नारायणखेड़ा के बजाय शंकर पिता प्रताप भील सा. देह दुरूस्ती किया जाना उचित बताते हुए दुरस्ती करने की अभिशंषा की गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर खातेदार शंकर पिता प्रताप भील सा. नारायणखेड़ा के बजाय शंकर पिता प्रताप भील सा. देह के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने की स्वीकृती दी गई, विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया गया जो शामिल पत्रावली है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। Signature Not Verified Digitally signed by Sundar Lal Bamboda Date: 2021.12.18 16:13:55 IST Reason: SelfAttested 14.10.2021 (सुन्दर लाल बम्बोडा) उपखण्ड अधिकारी रायपुर उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा	